

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-10 मु0 दिनांक-27.07.2018 के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत 25 क्रियाशील पंचायत सरकार भवन हेतु जिला स्तर पर संघारित पैनल से निम्नांकित कार्यपालक सहायकों को कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है :-

क्र0	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता का नाम	कोटि	वर्ष 2016 का पैनल क्रमांक	अभ्युक्ति
1	तरुण कुमार	शम्भु राय	पिछड़ा वर्ग	136	
2	शंभू कुमार	स्व0 राम प्रकाश सिंह	पिछड़ा वर्ग	139	
3	राहुल कुमार झा	कृष्ण कुमार झा	सामान्य वर्ग	144	
4	विनय कुमार	सिंगेश्वर सिंह	पिछड़ा वर्ग	140	
5	राजीव रंजन	कृष्णा ठाकुर	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	165	
6	रजनीश	हरि दयाल राय	पिछड़ा वर्ग	147	
7	आदित्य कुमार	शैलेश कुमार	सामान्य वर्ग	154	
8	राजू कुमार	राम बिहारी सिंह	पिछड़ा वर्ग	148	
9	पिन्दू कुमार गुप्ता	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	पिछड़ा वर्ग	150	
10	राजन कुमार	अनिल कुमार जयसवाल	पिछड़ा वर्ग	151	
11	मो0 सादाब आलम	मो0 कमरुद्दीन	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	168	
12	राकेश कुमार सिन्हा	रामेश्वर प्रसाद	सामान्य वर्ग	156	
13	सोनू कुमार	रामनाथ भक्त	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	173	
14	शम्भू कुमार	पांचू राय	पिछड़ा वर्ग	152	
15	परमानन्द राय	राम विलास राय	पिछड़ा वर्ग	158	
16	कुमार राज	राम ललित सिंह	सामान्य वर्ग	157	
17	विपिन कुमार	तारकेश्वर प्रसाद वर्मा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	178	
18	संतोष कुमार	स्व0 गोपी शर्मा	सामान्य वर्ग	161	
19	अनिल कुमार	सुबोध कुमार शर्मा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	183	
20	सुजीत कुमार शर्मा	महेन्द्र शर्मा	पिछड़ा वर्ग	159	
21	सोनु कुमार सिंह	महेन्द्र सिंह	पिछड़ा वर्ग	164	
22	राकेश कुमार सिन्हा	हरि प्रसाद सिन्हा	सामान्य वर्ग	162	
23	सुशील कुमार शर्मा	विजय शर्मा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	184	
24	राहुल कुमार	रंजीत कुमार जयसवाल	सामान्य वर्ग	163	
25	मुन्ना कुमार	देवेन्द्र साह	पिछड़ा वर्ग	167	

12

शर्तें :-

1. नियोजन हेतु नियोजन पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 15.10.18 तक जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी/नियोक्ता का होगा।
5. विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी/नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक:- 817 /जि०स्था० दिनांक:-12/10 2018

- प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि निम्नांकित उपस्करों (क) एक डेस्कटॉप (ख) एक प्रिंटर (ग) एक यू०पी०एस० एवं (घ) इण्टरनेट कनेक्शन डिवाईस के साथ निर्धारित तिथि के अंदर अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।